न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 227/2016

1. रामनिवास पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम } जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल } श्रीगंगानगर।
3. रजनी पुत्री रामलाल पत्नी श्री रघुवीरसिंह साई जाति जाट निवासी 5 इई 64—65 जयनारायण व्यास कालोनी बीकानेर।
4. मिनाषी पुत्री श्री रामलाल पत्नी श्री औमप्रकाश लेघा जाति जाट निवासी लेघा हाउय बंगला नगर गजनेर रोड़ बीकानेर।
5. शिवानी साहु पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 स्वयं उपस्थित

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 08.04.2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/1 मे 0.025 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23/2 में 0.126, 18/.253, 23/.253 मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 9.006 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 शामिल वाद पत्र है।

चक 3 जी छोटी के खातौनी संख्या 47/41 मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.323 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 शामिल वाद पत्र है।

उपरोक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वह जद्दी जायदाद है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें पिता से विरासतन प्राप्त हुआ है। नकल डिकी व निर्णय दिनांक 16.01.1997 संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार के स्वयं की सम्पति है। तथा संयुक्त अविभाजित सम्पति होनें के कारण वादी का इसमें हक व हिस्सा बनता है। तथा खाता सांझा रहने से लगान वव आबियाना देनें में पानी की भराई खिंचाई में व बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान में कई प्रकार की कानूनी व व्यवहारिक दिक्कते आती है। इस कारण हक व हिस्सा की भूमि को कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना जरूरी है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण नें काश्त की सहुलियत अच्छी आबपाशी व हक हिस्सानुसार आपसी प्रेमभाव को कायम रखते आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व घरेलु बंटवारा कर लिया है। चूकि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रकबा जिसमें बाग लगा हुआ है जो अन्य रकबा से ज्यादा किमती है। उसकी हिस्सा कस्सी पूरी है। मात्र वादी की हिस्सा कस्सी कम थी इस कारण घरू बंटवारा के द्वारा हिस्सा कस्सी को पूरा किया गया इस घरेलु बंटवारा अनुसार वादी एवम् प्रतिवादीगण अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है। व बिना किसी विघन के अपनें हक व हिस्सा की भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में निम्न प्रकार से रकबा आया है :–

वादी का हिस्सा :– चक 4 एफ के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर नहरी।

प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/1 में 0.025 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 13/2 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 18 व 23 सालम मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में 3.795 हैक्टर नहरी इस प्रकार से कुल 7.464 हैक्टर नहरी रकबा।

प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा :– चक 3 जी छोटी के खतौनी संख्या 47/41 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.323 हैक्टर नहरी जो उसके नाम है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का हिस्सा :– प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 नें जद्दी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई रकबा बंटवारा में नहीं दिया गया है।

वादी नें कई बार प्रतिवादीगण को कहा कि घरू बंटवारा अनुसार जिस प्रकार रकबा मेरे हिस्से में आया है उस रकबा को मेरें नाम से करवानें के लिये सक्ष्म अदालत में सहमति के ब्यान कर दो ताकि घरू बंटवारा के अनुसार उक्त रकबा मेरे नाम से हो जाये पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 15 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और कहनें लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नहीं मानते और ना ही तुम्हारें पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। तुम्हे जो करना है, करो बस यही बिनाय दावा है। जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो अन्य प्रतिवादीगण के प्रभाव में है, और वह ऐलानियां कह रहा है, कि घरू बंटवारा को नहीं मानकर रकबा रहन बैय करनें की फिराक में है, अगर वह अपनें हइस मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा जिसकर पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी वादी अपनें हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगा। इस कारण ता फैसला दावा को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है।

राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसको प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अन्य कोशेरर है इसलिये उन्हे प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. घोषित किया जावे कि वादी चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर नहरी का खातेदार काश्तकार है।
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग–अलग कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. प्रतिवादीगण को शाश्वत् व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह रकबा को रहन बैय नहीं करें।
5. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 15.02.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये जानें पर श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम एवम् द्वितीय पक्षकारान एक ही परिवार के है परिवार के नजदीक मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा करवा दिया है इस राजीनामा के अनुसार अपनें अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है राजीनामा के अनुसार प्रथम पक्ष के हिस्सा में निम्न प्रकार से रकबा आया है :–

वादी रामनिवास का हिस्सा :– चक 4 एफ के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर नहरी।

प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/1 में 0.025 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 13/2 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 18 व 23 सालम मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में 3.795 हैक्टर नहरी इस प्रकार से कुल 7.464 हैक्टर नहरी रकबा।

प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र का हिस्सा :– चक 3 जी छोटी के खतौनी संख्या 47/41 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.323 हैक्टर नहरी जो उसके नाम है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का हिस्सा :– प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 नें जद्दी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई रकबा बंटवारा में नहीं दिया गया है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। भूमि बैक के रहन है, अतः बैंक से एन.ओ.सी. ली जानी उचित है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी एवम् प्रतिवादी संख्या एक द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत वाद पत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें वाद पत्र एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 4 एफ छोटी के खाता संख्या 58/56 की कुल 9.006 हैक्टर तथा चक 3 जी छोटी के खातौनी संख्या 47/41 की 6.323 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिवादगण संख्या 1 व 2 को विरास्तन प्राप्त होनें के कारण वादी का भी हक हिस्सा है, से तथा उभयपक्ष में राजीनामा होने के कारण वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत राजीनामा अनुसार वाद में वर्णित भूमि में 2.530 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी रामनिवास का हिस्सा :– चक 4 एफ के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर नहरी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 17 ता 24 में 2.024 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/1 में 0.025 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 13/2 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 18 व 23 सालम मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में 3.795 हैक्टर नहरी इस प्रकार से कुल 7.464 हैक्टर नहरी रकबा।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र का हिस्सा :– चक 3 जी छोटी के खतौनी संख्या 47/41 मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.323 हैक्टर नहरी जो उसके नाम है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का हिस्सा :– प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 नें जद्दी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई रकबा बंटवारा में नहीं दिया गया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर